प्रेषक,

संयुक्त निदेशक (शिक्षा)
गोरखपुर मण्डल गोरखपुर ।

सेवामें,

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र–2, समुदाय केन्द्र, प्रीति बिहार ,
नई दिल्ली ।

पत्रांकः आशु0 / एन0ओ0सी0 / ——— / 2013–14 दिनांकः 09 नवम्बर 2013

विषयः– कैम्ब्रिज इण्टरनेशनल इंगलिश स्कूल देवकली हेमराज, देवरिया को सेन्ट्ल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भ में अवगत कराना है कि माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं को कौंसिल फार दी इण्डियन सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन ,नई दिल्ली / सेन्ट्ल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र राज्य सरकार के स्थान पर सम्बन्धित मण्डल के मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिये जाने का निर्देश है, मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक 07.11.2013 में लिये गये निर्णय के अनुसार कैम्ब्रिज इण्टरनेशनल इंगलिश स्कूल देवकली हेमराज, देवरिया को जिलाधिकारी देवरिया के पत्र संख्या 1108 / आ0लि0–2013 दिनांक 16 जून 2013 के साथ संलग्न अपर जिलाधिकारी की आख्या दिनांक 12जून 2013 से प्रेषित विन्दुवार आख्या के अनुसार विद्यालय सभी मानक पूर्ण करता है। श्रीमती नूरजहां पत्नी स्वर्गीय शेख मुस्तफा की शिकायत दिनांक 19.8.2012 पर इस विद्यालय के भूमि की जांच उप जिलाधिकारी रूद्रपुर से करायी गयी। उप जिलाधिकारी रूद्रपुर की आख्या दिनांक 4.10.2013 के अनुसार गाटा संख्या 7 व गाटा संख्या 15 पर संचालित है। गाटा संख्या–7मी0 मे से 0.395–1 / 2हे0 तथा आ0नं0 15 रकबा 0.235 पर विद्यालय संचालित है। स्थलीय सीमांकन में ज्ञात हुआ कि विद्यालय का भवन मय बाउण्ड्रीवाल गाटा संख्या 15 / 0.235हे0में बना है, जिसमें 1 / 2अंश कामिल शेख का पुस्तैनी तथा 1 / 2 अंश प्रार्थिनी के पति शेख मुस्तफा पुत्र बुद्धु द्वारा कामिल शेख के पक्ष में बैनामा भूमि है। मौके पर विद्यालय भवन व बाउण्ड्रीवाल अपने अभिलिखित रकबे 0.235हे0 से लगभग 0.013हे0 अधिक रकबे पर बना है। श्रीमती नूरजहॉ पत्नी स्व0शेख मुस्तफा द्वारा इन गाटों के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी के आदेश दिनांक 21.7.2012 के बिरूद्ध कायमी प्रार्थना पत्र दिया गया है, जो उप जिलाधिकारी रूद्रपुर के न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश नहीं है। इस प्रकार विवाद मात्र 0.013हे0 अधिक पर विद्यालय की बाउण्ड्री बने होने का है। इसं सम्बन्ध में कामिल शेख पुत्र स्व0 शेख अबुबकर द्वारा शपथ पत्र दिनांक 7.10.2013 द्वारा यह कहा है कि आ0न0 07 रकबा 0.013हे0 भूमि, जो प्रार्थिनी के प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित है, पर जब तक न्यायालय से निर्णय नहीं हो जायेगा तब तक किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं किया जायेगा। अपर जिलाधिकारी की आख्या दिनांक 12.6.2013 एवं उप जिलाधिकारी रूद्रपुर की आख्या दिनांक 4.10.2013 के अनुसार विद्यालय भवन पूर्ण है तथा सभी मानक पूरे करता है, इस लिए विवादित अंश आ0नं0 07 रकबा 0.013हे0 को छोड़ते हुए विद्यालय को सेन्ट्ल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धो के अधीन आपत्ति नहीं है –

1– विद्यालय के पंजीकृत सोसाइटी का समय –समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2– विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।

Manager
Cambridge International English School
Devkali Hemraj, Madanpur
Rudrapur, Deoria
Affi. No.-2132079 School Code-70320

Samyeeda Shaheen
Principal
Cambridge International English School
Devkali Hemraj, Madanpur, Rudrapur, Deoria(U.P.)

3— विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगें और उनसे उ0प्र0माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा।

4— संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता आई0सी0एस0ई0 नई दिल्ली से (कौंसिल फार दी इण्डियन सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन,नई दिल्ली)/सी0बी0एस0ई0 बोर्ड नई दिल्ली से प्राप्त होती है, जो उस परीक्षा परिषद से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

5— संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के अनुमन्य वेतन मानों तथा अन्य भत्ते से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगें।

6— कर्मचारियों के सेवा शर्ते बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उ0 मा0 विद्यालय के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगें।

7— राज्य सरकार/विभाग द्वारा समय—समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें संस्था उनका पालन करेगी ।

8— विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

9— उक्त शर्तो में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है, अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है, तो उक्त प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तर दायित्व संस्था का होगा ।

भवदीय

(दिव्यकान्त शुक्ल)
संयुक्त निदेशक (शिक्षा)
गोरखपुर मण्डल गोरखपुर।

पृ0सं0 आशु0/6302—6309/2013—14 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवामें सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेषित —

1—सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा—7 अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
2—मण्डलायुक्त गोरखपुर मण्डल गोरखपुर ।
3—जिलाधिकारी देवरिया ।
4—शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उ0प्र0 लखनऊ।
5—जिला विद्यालय निरीक्षक देवरिया।
6—प्रबन्धक/प्रधानाचार्य कैम्ब्रिज इण्टरनेशनल इंगलिश स्कूल देवकली हेमराज, देवरिया ।
7—गार्ड फाईल ।

(दिव्यकान्त शुक्ल)
संयुक्त निदेशक (शिक्षा)
गोरखपुर मण्डल गोरखपुर।

Manager
Cambridge International English School
Devkali Hemraj, Madanpur
Rudrapur, Deoria
Affi. No.-2132079 School Code-70320

Sanjeeda Shaheen
Principal
Cambridge International English School
Devkali Hemraj, Madanpur, Rudrapur, Deoria(U.P.)